

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 983/2019

1. महावीर महतो
2. महेंद्र महतो
3. राजेश मंडल @राजेश प्रसाद ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. बासुदेव साव ... विरोधी दल

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति संजय प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए: श्री हेमंत कुमार शिकारवार, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता: श्री सूरज देव मुंडा, विशेष लोक अभियोजक
विरोधीदल संख्या 2 के लिए : श्री बिभाश सिन्हा, अधिवक्ता

निर्णय

20/10.04.2024: यह आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन याचिकाकर्ताओं महावीर महतो, महेंद्र महतो और राजेश मंडल उर्फ राजेश प्रसाद की ओर से दायर किया गया है, जिसमें श्री कौशल किशोर झा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III, हजारीबाग द्वारा 2018 की धारा संख्या 328 में पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं की ओर से आपराधिक प्रक्रिया की धारा 227 के तहत दायर आरोपमुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है।।

2. शुरू में पाँच याचिकाकर्ताओं ने यह आपराधिक संशोधन आवेदन दायर किया था। बाद में, मूल याचिकाकर्ता संख्या 3, नामतः नंद किशोर महतो @नंद किशोर प्रसाद और मूल याचिकाकर्ता संख्या 5, नामतः छोटू प्रसाद ने 16.02.2023 पर अपनी ओर से संशोधन आवेदन वापस ले लिए थे। मूल याचिकाकर्ता संख्या 3 और मूल याचिकाकर्ता संख्या 5 का नाम 22.02.2023 पर हटा दिया गया था क्योंकि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने 16.02.2023 पर उनके नाम हटाने की अनुमति मांगी थी।

3. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि सूचना देने वाला अपने भाई अर्जुन साव और एक फुल चंद साव और भतीजे संतोष कुमार के साथ ग्राम करवा में पंचायती में भाग लेने गया था, हालांकि, एक साजिश के कारण आरोपी समन ठाकुर, मुखिया गोपाल प्रसाद, रामचंद्र प्रसाद, महावीर महतो, यानी याचिकाकर्ता संख्या 1, राजेश मंडल, यानी याचिकाकर्ता संख्या 3, महेंद्र महतो, यानी याचिकाकर्ता संख्या 2 और एक चैत लाल महतो और छोटू प्रसाद, जो पहले मौजूद थे, ने उनसे बातचीत कराई और उन पर घातक हथियारों से हमला किया जिससे उनके भाई के सिर में चोट लग गई और उनका पैर टूट गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि समन ठाकुर और रामचंद्र (जिनके खिलाफ अंतिम फॉर्म जमा किया गया था) और राजेश मंडल, यानी याचिकाकर्ता संख्या 3 द्वारा सूचना देने वाले पर लोहे की छड़ और टांगी के माध्यम से हमला किया गया था।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक और मुखबिर

के विद्वान वकील को सुना।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश अवैध, मनमाना और कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुलिस को जांच के बाद, सम्मान ठाकुर, गोपाल प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद नामक तीन व्यक्तियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिली है, इसलिए उनके खिलाफ अंतिम फॉर्म प्रस्तुत किया गया था, हालांकि उनके खिलाफ मुखबिर और अन्य घायल व्यक्तियों पर हमला करने के लिए भी विशिष्ट आरोप थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. आई. आर. के अनुसार भी इन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ मुखबिर के खिलाफ हमला करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और मुखबिर पर लोहे की छड़ और कुल्हाड़ी से हमला करने का विशिष्ट आरोप समन ठाकुर, रामचंद्र महतो और याचिकाकर्ताओं में से केवल एक राजेश मंडल, यानी याचिकाकर्ता संख्या 4 के खिलाफ था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं और सूचना देने वाले या उसके परिवार के सदस्यों को मारने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि याचिकाकर्ता के पास सूचना देने वाले पक्ष को मारने का पर्याप्त अवसर था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सूचना देने वाले और अन्य लोगों के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोटें नहीं पाई गईं, जो चोट की रिपोर्ट से स्पष्ट है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा घातक हथियारों का उपयोग दोहराने का कोई आरोप नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों में, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 307 आई. पी. सी. के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 307 आई. पी. सी. के तहत आरोप तय करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के दौरान याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त सामग्री एकत्र नहीं की गई थी, जिसके आधार पर आरोप तय किए जा सकते थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सूचना देने वाले और घायल व्यक्तियों पर हमला करने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य नहीं सौंपा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सूचना देने वाले के पुलिस कर्मियों होने के इच्छुक गवाहों को छोड़कर, किसी भी स्वतंत्र गवाह ने इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. आई. आर. में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं और याचिकाकर्ताओं को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। इसलिए, 2019 के इस आपराधिक संशोधन संख्या 983 की अनुमति दी जा सकती है।

6. दूसरी ओर, विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया है कि न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश उचित है और इस न्यायालय से किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का नाम एफ. आई. आर. में है और सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सूचना देने वाले और उसके भाई और अन्य घायल लोगों पर हमला करने के सीधे आरोप हैं और इस हमले के कारण सूचना देने वाले के भाई को सिर में चोट लगी थी, जो गंभीर प्रकृति की थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गवाह, अर्थात् कार्तिक प्रसाद, बासुदेव महतो और ताहल महतो, जिनके बयान केस डायरी के पैराग्राफ 11, 12 और 13 में दर्ज किए गए हैं, ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामले का पूरा समर्थन किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घायल व्यक्तियों का पहले स्वास्थ्य केंद्र, बरकट्टा, हजारीबाग में इलाज किया गया और बाद में, उनका इलाज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर के एक अस्पताल में किया गया यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्वतंत्र लड़ाई का मामला है और सूचना देने वाले और उसके भाई को गंभीर चोटें आई थीं और इसलिए इस आपराधिक संशोधन को खारिज किया जा सकता है।

7. दूसरी ओर, सूचना देने वाले के विद्वान वकील ने विद्वान विशेष लोक अभियोजक की प्रस्तुतियों को स्वीकार करने के बाद आगे कहा है कि यह आपराधिक संशोधन आवेदन योग्यता से रहित है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का नाम एफ. आई.

आर. में है और उनके खिलाफ आयरन रॉड और टांगी द्वारा सूचना देने वाले और उसके परिवार के सदस्यों पर हमला करने का सीधा आरोप है, जिससे सूचना देने वाले के भाई के सिर पर चोट लगी और यहां तक कि सूचना देने वाले के भाई का पैर भी टूट गया। यहां तक कि अन्य घायल व्यक्ति के सिर पर भी चोटें पाई गईं, यानी फुल चंद साव और एक अन्य घायल अर्जुन साव के शरीर पर घाव हुए थे और एक अन्य घायल संतोष कुमार के चेहरे और ऊपरी नाक पर चोटें आई थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घायल व्यक्तियों का न केवल बरकट्टा, हजारीबाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया, बल्कि उनका इलाज खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) के एक अस्पताल में भी किया गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि गवाहों, अर्थात् बासुदेव साव, घायल गवाह फुलचंद साव, घायल गवाह संतोष कुमार, रोहन राणा, कार्तिक प्रसाद, बासुदेव महतो और ताहल महतो, जिनके दर्ज किए गए बयान, क्रमशः केस डायरी के पैरा 3,5,6,10,11,12,13 में उल्लिखित हैं, ने अभियोजन पक्ष के मामले और मुखबिर और उसके भाई और अन्य घायल व्यक्तियों पर हमले का पूरा समर्थन किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पैराग्राफ 19,20 और 21 क्रमशः घायल अर्जुन साव, फुलचंद साव और संतोष कुमार की चोट की रिपोर्ट हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सूचना देने वाले पक्ष को चोटें लगी थीं।

8. सूचना देने वाले के विद्वान वकील ने उसके प्रस्तुत करने के समर्थन में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है।

- 1) अंजनी कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य और अन्य (2014) 12 एस. सी. सी. 286 में सूचित,
- 2) विनीत महाजन बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2017) 14 एस. सी. सी. 803 में सूचित

यह प्रस्तुत किया जाता है कि आरोप तय करने के चरण में, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान की सावधानीपूर्वक जांच देखने की आवश्यकता नहीं है। 2019 का यह आपराधिक संशोधन 983 योग्यता से रहित है और इसे खारिज किया जा सकता है।

9. निचली अदालत के अभिलेखों का अवलोकन किया और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया।

10. एफ. आई. आर. से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं महाबीर महतो, महेंद्र महतो और राजेश मंडल उर्फ राजेश प्रसाद और अन्य व्यक्तियों सहित आठ अभियुक्त व्यक्तियों ने घातक हथियारों से लैस गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होकर सूचना देने वाले, उसके भाई और अन्य घायल व्यक्तियों पर हमला किया था और उनके खिलाफ आरोप सामान्य और सर्वव्यापी तरीके से हैं जिससे सूचना देने वाले के भाई के सिर पर चोट लगी थी और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था।

एफ. आई. आर. में यह भी आरोप लगाया गया है कि समन ठाकुर और रामचंद्र महतो और राजेश मंडल (यानी याचिकाकर्ता संख्या 3) ने मुखबिर पर हमला किया था।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि समन ठाकुर और रामचंद्र महतो को मुकदमे के लिए नहीं भेजा गया था और पुलिस ने उनके खिलाफ अंतिम फॉर्म दाखिल किया था

12. जहां तक चोट की रिपोर्ट का संबंध है, अर्जुन साव, जो सूचना देने वाले का भाई है, की चोट की रिपोर्ट में पैरा 19 से पता चलता है कि दाहिने जोड़ पर एक घाव की चोट और सूजन पाई गई थी, जो कठोर और कुंद पदार्थ के कारण हुई थी और चोट के विषय में राय आरक्षित थी और रोगी को सदर अस्पताल, हजारीबाग भेजा गया था।

पैराग्राफ 20 फुलचंद साव की चोट की रिपोर्ट है और डॉक्टर ने पाया है कि उनकी दोनों पार्श्विका हड्डी पर कठोर और कुंद पदार्थ के कारण घाव की चोट लगी है और चोट की

प्रकृति पर राय सुरक्षित रखी गई थी और रोगी को सदर अस्पताल भेजा गया था।

पैरा 21 घायल संतोष कुमार की चोट की रिपोर्ट है और डॉक्टर ने उसके व्यक्ति पर कठोर और कुंद पदार्थ के कारण चोटों का पता लगाया।

13. पैराग्राफ 3 में दर्ज सूचना देने वाले के बाद के बयान के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि उसने वही तथ्य बताए हैं जो एफ. आई. आर. में बताए गए हैं।

14. केस डायरी के पैराग्राफ 5 और 6 में घायल गवाहों, अर्थात् फुलचंद साव, संतोष कुमार के बयानों से यह भी प्रतीत होता है कि शिव मंदिर के परिसर में 19 डिसमील भूमि के संबंध में एक पंचायत बुलाई जा रही थी और जिसमें वे अपने भाई अर्जुन साओ, भतीजे संतोष कुमार के साथ उपस्थित थे और जहां अन्य व्यक्ति गोपाल प्रसाद, सम्मान ठाकुर, भूमि के पुराने मालिक-रोशन राणा, रामचंद्र प्रसाद, महाबीर महतो, यानी याचिकाकर्ता संख्या 1, राजेश मंडल, यानी याचिकाकर्ता संख्या 3, नंदकिशोर महतो, महेंद्र महतो, यानी याचिकाकर्ता संख्या 2 और छोटी प्रसाद के बीच बहस शुरू हो गई और उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई और इस बीच उन पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया गया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि, उन्होंने कहा कि घायल अर्जुन साव अपना बयान देने की स्थिति में नहीं है।

15. पैराग्राफ 10, रोहन राणा का बयान है, जो जमीन का मालिक है और उसने कहा है कि उसने अपना हिस्सा महाबीर महतो, यानी याचिकाकर्ता संख्या 1 को बेच दिया था, लेकिन क्योंकि वह एक अनपढ़ व्यक्ति है और इसलिए उसे पता नहीं है कि कितनी जमीन का निष्पादन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बड़े भाई और बरहन राणा ने बासुदेव साव यानी मुखबिर को जमीन दी थी। इसके बाद, विचाराधीन भूमि के संबंध में एक विवाद हुआ था और हमला किया गया था और इसलिए, वह वहाँ से चला गया। पारा 11,12 और 13 स्वतंत्र गवाहों के बयान हैं, अर्थात् कार्तिक प्रसाद, बासुदेव महतो और ताहल महतो जिन्होंने कहा था कि महाबीर प्रसाद, यानी याचिकाकर्ता संख्या 1 ने विक्रेता रोहन राणा से जमीन खरीदी थी और पांच डिसमील भूमि विवाद में है और इसी विवाद को हल करने के लिए, मुखिया गोपाल प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता-कम्मम ठाकुर, शिक्षक रामचंद्र प्रसाद द्वारा 15-20 व्यक्तियों के साथ एक पंचायत बुलाई जा रही थी और जब पंचायती चल रही थी, तो इस बीच अर्जुन साव, यानी घायल, बासुदेव, यानी मुखबिर और फुलचंद साव, यानी एक अन्य घायल जितेंद्र कुमार पुत्र अर्जुन साव और संतोष कुमार पुत्र फुलचंद साव वहां पहुंचे और दावा किया कि खाता नं. 48 प्लॉट नं. 3846/3847 में वर्णित 19 डिसमील जमीन उनकी है। तब महाबीर महतो, अर्थात् याचिकाकर्ता संख्या 1 और अन्य लोगों ने उक्त भूमि को अपना होने का दावा किया और फिर तीखी नोकझोंक हुई और ईंटें और पत्थर फेंके गए, जिससे दोनों पक्षों के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि हमले में समन ठाकुर, गोपाल प्रसाद और रामचंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे।

16. पारा 26 पुलिस निरीक्षक का पर्यवेक्षण नोट है जिसने वही तथ्य बताए हैं जो गवाह कार्तिक प्रसाद, बासुदेव महतो और ताहल महतो ने पारा 11,12 और 13 में बताए हैं, जिन्होंने कहा है कि विवादित भूमि महाबीर प्रसाद द्वारा वर्ष 1991 में खरीदी गई थी और जिन्होंने इस मामले के जाँच अधिकारी को कुछ निर्देश दिए थे।

पारा 46,47 और 48 क्रमशः शंभू प्रसाद, तेजो महतो और मनोज कुमार प्रसाद नामक स्वतंत्र गवाहों के एक अन्य समूह के बयान हैं, जिन्होंने दोनों पक्षों के बीच विवाद के बारे में बताया है और कहा है कि सूचना देने वाला पक्ष समन ठाकुर, रामचंद्र प्रसाद और मुखिया गोपाल प्रसाद को फंसाने की कोशिश कर रहा है और दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, जो 10.08.2016 पर दर्ज किया गया था।

17. ऐसा भी प्रतीत होता है कि इस मामले में आरोप पत्र 31.3.2017 को भारतीय दंड संहिता

की धारा 341/323/324 325/307/34 के तहत अपराधों के लिए 31.03.2017 पर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2017 को देखा गया था।

आरोप-पत्र प्रस्तुत करते समय भी जांच अधिकारी द्वारा पूरक चोट रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जा सकी।

18. यह केस डायरी के 10.01.2017 पर लिखे गए पैरा 63 और केस डायरी के 20.02.2017 पर लिखे गए पैरा 71 से पता चलता है कि जांच अधिकारी को सदर अस्पताल में सूचित किया गया था कि घायल व्यक्तियों की चोट की रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

यहां तक कि 31.03.2017 को आरोपपत्र जमा करने की तारीख को भी, पूरक चोट रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थी।

19. ऐसा भी प्रतीत होता है कि सूचना देने वाले और घायल व्यक्तियों को घायल व्यक्तियों अर्जुन साओ और फुलचंद साओ की चोट की रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं या गंभीर चोट लगी है।

20. पैराग्राफ 19 और 20 में उल्लिखित चोट रिपोर्टों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि डॉक्टर ने चोट की प्रकृति के बारे में राय नहीं दी थी और चोट की प्रकृति पर राय स्पष्ट नहीं थी कि क्या यह गंभीर या साधारण थी। न तो मुखबिर और न ही जांच अधिकारी ने मुखबिर के भाई अर्जुन साव, के बाएं पैर के कथित फ्रैक्चर की एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके सिर पर चोट लगी थी और उनके पैर में फ्रैक्चर बताया गया था।

21. बहस के दौरान, मुखबिर के विद्वान वकील ने घायल व्यक्तियों की चोटों की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आरोप पत्र जमा करने के समय वे इस मामले के रिकॉर्ड में नहीं थे।

22. यह आगे दिखाई देगा कि किसी भी चोट की रिपोर्ट के अभाव में कि क्या चोट गंभीर थी या जीवन के लिए खतरनाक थी, धारा 307 I.P.C. के तहत पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था और मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था और जहां याचिकाकर्ता द्वारा दायर आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी गई है।

23. ऐसा भी प्रतीत होता है कि महाबीर महतो की पत्नी राधा देवी, अर्थात् याचिकाकर्ता संख्या 1 ने भी सूचना देने वाले बासुदेव शाह और उनके घायल भाइयों और भतीजों अर्जुन साव, फुलचंद साव, जितेंद्र कुमार और संतोष कुमार के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 341/323/354/504/506/379/34 के तहत एफ. आई. आर. दर्ज कराई है।

24. ऐसा भी प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों को चोटें आई थीं और ईंटों की बाँछार हुई थी और दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया गया था।

25. ऐसा भी प्रतीत होता है कि अर्जुन साव और फुलचंद साव की चोट की रिपोर्ट पर अंतिम राय रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है, हालांकि, घायल गवाह संतोष कुमार की चोट की रिपोर्ट से, जो केस डायरी के पैराग्राफ 21 में निहित है, यह पता चलता है कि उनकी चोटें सरल प्रकृति की हैं।

26. यहां तक कि मुखबिर-विरोधी पक्ष नंबर 2 ने भी 26.02.2020 पर जवाबी हलफनामा दायर किया है, लेकिन न तो पूरक चोट की रिपोर्ट रिकॉर्ड में लाई गई है और न ही इस मामले के मुखबिर के माध्यम से राज्य द्वारा कोई चोट की रिपोर्ट रिकॉर्ड में लाई गई है। यद्यपि सूचना देने वाले के वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि आरोपमुक्त करने की याचिका पर विचार करने के चरण में, अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है और गवाहों के बयान की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की जानी चाहिए और अन्यथा यह एक लघु

परीक्षण आयोजित करने के बराबर होगा।

27. हालाँकि, इस न्यायालय ने पाया कि इस स्तर पर आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत कोई अपराध नहीं है क्योंकि घायल व्यक्तियों की चोट की रिपोर्ट सुरक्षित रखी गई थी।

28. *अंजनी कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य और एक अन्य*, (2014) 12 एस. सी. सी. 286 ने में प्रतिवेदित मामले में, यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया था, जिसने यह अभिनिर्धारित किया था कि धारा 307 आई. पी. सी. के तहत अपराध नहीं बनाया गया है।

उक्त निर्णय के अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चोटों को नोटिस करने के बाद, जो अपीलार्थी के खोपड़ी के दाहिने अस्थायी क्षेत्र के साथ-साथ खोपड़ी के पश्चवर्ती क्षेत्र के दाईं ओर और खोपड़ी के पश्चवर्ती क्षेत्र के बाईं ओर पाए गए थे, जो एक वकील था और अपने आवास पर बैठा था और आरोपी व्यक्ति उसके घर में घुस गए थे और 1,000/- रुपये की मांग की और घायल व्यक्ति ने केवल 200 रुपये दिए थे -जिसके कारण विवाद पैदा हो गया और कई वार करने के बाद उसे घर से बाहर खींच लिया गया। इससे पता चलता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने जानबूझकर वकील पर उनके आवास पर हमला किया था।

हालाँकि, तत्काल मामले में दोनों पक्षों की उपस्थिति में एक खुली जगह पर पंचायती बुलाई जा रही थी और यह रिकॉर्ड में आया है कि दोनों पक्षों द्वारा ईंटें और पत्थर फेंके गए थे और दोनों पक्षों को चोटें आई थीं।

इस प्रकार, 2014 (12) एस. सी. सी. 286 में सूचित उपरोक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।

29. यह *विनीत महाजन बनाम पंजाब राज्य और अन्य* के मामले में आयोजित किया गया है 2017 (14) एस. सी. सी. 803 में पैरा 11 पर निम्नलिखित रूप में सूचित किया गया:

11. इसके अलावा यह सवाल कि क्या हत्या करने का कोई इरादा था या यह जानकारी थी कि मृत्यु हो सकती है, तथ्य का सवाल है और यह किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा जिसे निचली अदालत द्वारा दिए गए साक्ष्य पर जिम्मेदार ठहराया जाना है। हम उपरोक्त सिद्धांतों को शामिल करते हुए निर्णय के पैरा 15 और 16 को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे:

15. एफ. आई. आर. गवाह गौतम चौधरी के बयान का सापेक्ष भाग इस प्रकार है:

'... इसके तुरंत बाद सुनील साहनी रमेश साहनी, दीपक साहनी, मोहन साहनी और बुच्छ साहनी के साथ विभिन्न हथियारों से लैस फरसा, तलवार, लोहे की छड़, लाठी, पाइपा (लाठी के छोटे आकार) के साथ वहां आए और सुनील साहनी ने आने के तुरंत बाद कहा "आज वकील को सबक सिखा देना है" (आज हमें वकील को सबक सिखाना है) "साला पैसा नहीं दिया है", यह कहते हुए कि वह फरसा से लैस था, उसने उसके सिर पर मारने के इरादे से फरसा से वार कर दिया, जिस पर मुखबिर उसे बचाना चाहता था, लेकिन उक्त फरसा-ब्लो उसके दाहिने कान के पास लगा और मोहन साहनी ने मुखबिर के गले पर तलवार से वार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसके गले पर चोट लग गई और यहां तक कि उसके गले में लोहे की छड़ भी गिर गई और तब भी दीपक साहनी ने हाथ में लोहे की छड़ लिए हुए सूचना देने वाले पर लोहे की छड़ से हमला किया जिससे सूचना देने वाले की बाईं कलाई पर चोट लग गई और अन्य आरोपी रमेश साहनी, दिनेश साहनी और शुनभु साहनी ने इस बीच लाठी, पैर, थप्पड़ से हमला किया। असबरी साहनी, लक्ष्मी साहनी, संतोष साहनी, जगदीश साहनी और चार-पांच अज्ञात व्यक्ति वहाँ आए और शांति भंग करने के इरादे से मुखबिर को गाली दी और उन्होंने उस वकील को सबक सिखाना शुरू कर दिया जो बहुत कुछ कर रहा है।

16. गवाह बैजू और मनोज चौधरी के बयान भी इसी तर्ज पर हैं। उपरोक्त बयानों से जो बात स्पष्ट होती है वह यह है कि प्रथम अभियुक्त और अन्य लोगों ने कथित अपराध करते समय प्रोत्साहित किया था कि यदि धन का भुगतान नहीं किया गया तो वे अपीलार्थी को मार देंगे। अभियुक्त और अन्य लोगों द्वारा खुली घोषणा कि अपीलार्थी उच्च न्यायालय में वकालत करने के लिए जीवित नहीं होगा, प्रथम दृष्टया इंगित करेगा कि अभियुक्त का इरादा, जो उसने कहा था, उसके बाद चोट पहुँचाना था। इसके अलावा, जब कई लोग एक निहत्थे व्यक्ति पर घातक हथियारों से हमला करते हैं, तो यह मान लेना उचित होता है कि उन्हें जानकारी या इरादा था कि इस तरह के हमले के परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है। तत्काल मामले में, बयानों के अनुसार, इस्तेमाल किए गए हथियार लाठी, छड़, फरसा, तलवार आदि थे, और जब हम चोटों की प्रकृति को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि चोटें तेज काटने वाले हथियारों और कठोर कुंद पदार्थ के उपयोग से लगी थीं। दाएँ कान के आधार पर खोपड़ी के दाएँ अस्थायी क्षेत्र, खोपड़ी के पश्चवर्ती क्षेत्र के दाएँ भाग, खोपड़ी के पश्चवर्ती क्षेत्र के बाएँ भाग आदि पर चोटें लगी थीं। अभियुक्त द्वारा खुली घोषणा कि एक व्यक्ति की हत्या की जाएगी, उसके इरादे का संकेत देती है और जैसा कि इस न्यायालय ने वसंत विट्ठू जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य (वसंत विट्ठू जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2004) 9 एस. सी. सी. 31:2004 एस. सी. सी. (आपराधिक) 1323) में कहा था, यह सवाल कि क्या हत्या करने का इरादा था या यह जानकारी कि मृत्यु होगी, तथ्य का सवाल है और यह किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, जिसे निचली अदालत द्वारा साक्ष्य के आधार पर जिम्मेदार ठहराया जाना है। उपरोक्त तथ्यों से संकेत मिलता है कि आई.पी.सी. की धारा 307 के तत्व बनाए गए हैं।

30. जहाँ तक विनीत महाजन बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 2017 (14) एस. सी. सी. 803 में रिपोर्ट किए गए के संबंध में के मामले में निर्णय पारित किया गया है।, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 307 आई. पी. सी. के तहत बनाए गए आरोप को खारिज कर दिया था, हालांकि एक घायल विनीत महाजन और एक अवनीश महाजन पर चोट गंभीर प्रकृति की थी और धारदार हथियार से लगी थी और उन्हें धारदार हथियार से मारा गया था, जो अपनी कार के अंदर बैठे थे और उन पर गरासा, दातार, बेसबॉल बैट आदि सहित तेज घातक हथियारों से हमला किया गया और उन्हें मारने का इरादा था।

हालांकि, तत्काल मामले में डॉक्टर ने घायल अर्जुन साव और फुलचंद साव को कोई गंभीर चोट लगने की बात नहीं कही थी।

अतः उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भी लागू नहीं होता है।

31. दोनों मामलों में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी है कि यह सवाल कि क्या हत्या करने का इरादा था या यह जानकारी कि मृत्यु होगी, तथ्य का सवाल है और यह किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, जिसे निचली अदालत द्वारा तथ्यों पर साक्ष्य में जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

32. हालांकि, तत्काल आपराधिक संशोधन आवेदन में एफ. आई. आर. से यह प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों के बीच भूमि विवाद के संबंध में एक पंचायत बुलाई गई थी और यह माना जा सकता है कि जब शिव मंदिर परिसर में मुखिया, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में दोनों पक्षों के व्यक्तियों के बीच एक पंचायत बुलाई गई थी, तो हत्या करने का कोई इरादा नहीं था और दोनों पक्षों के बीच अचानक बहस हो गई जिसके परिणामस्वरूप सूचना देने वाले और उसके परिवार के अन्य सदस्यों, यानी घायल व्यक्तियों को चोट लगी थी। हालांकि, सूचना देने वाले ने आरोपी व्यक्तियों की ओर से लगी चोटों को छुपाया है, यानी याचिकाकर्ता पक्ष ने जो स्वतंत्र गवाहों, कार्तिक प्रसाद, बासुदेव महतो और ताहल महतो ने क्रमशः पैराग्राफ 11,12,13 में और शंभू प्रसाद, तेजो महतो और मनोज कुमार प्रसाद ने केस

डायरी के क्रमशः 46,47,48 में कहा था।

33. इस अदालत के समक्ष बहस करते हुए भी सूचना देने वाला किसी भी सरकारी अस्पताल के किसी भी सक्षम डॉक्टर द्वारा जारी कोई चोट की रिपोर्ट प्रदान करने में विफल रहा है, जहां घायल व्यक्तियों, अर्थात् अर्जुन साओ और फुलचंद साओ का इलाज किया गया था।

34. इस प्रकार, गहन विचार करने के बाद, कोर्ट का यह मानना है कि आईपीसी की धारा 307 के तहत कोई अपराध नहीं है, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला बनाया गया है, हालांकि, हमले की घटना हुई थी।

35. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस अदालत का विचार है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करने के समय आइ.पी. सी की धारा 307 के तहत अपराध किसी भी घायल व्यक्ति, अर्थात् अर्जुन साओ और फुलचंद साओ के व्यक्ति पर पाए गए किसी भी गंभीर चोट के अभाव में नहीं बनाया गया था।

36. इसलिए, निचली न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा है कि आई.पी.सी की धारा 307 के तहत अपराध घायल, अर्थात् अर्जुन साव और फुलचंद साव के साथ-साथ मुखबिर-बासुदेव साओ द्वारा की गई किसी भी गंभीर चोट की अनुपस्थिति में नहीं बनाया गया है।

37. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि आधार गलत है तो अदालत किसी भी स्तर पर कार्यवाही को दरकिनार कर सकती है, भले ही अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ की गई हो।

38. यह इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा डब्ल्यू. पी.(क्र.)483/2022 (राजेश कच्छप और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य)में पारित 03.03.2023 के आदेश के माध्यम से आयोजित पैराग्राफ संख्या 37 और 38 पर निम्नानुसार हैं :-

पैरा-37 याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने 'रितेश तिवारी' 19, 'देविंदर पाल सिंह भुल्लर' 20 और 'कविता माणिकिकर' 21 का हवाला दिया है, यह प्रस्ताव रखने के लिए कि एक बार 31 जुलाई 2022 को रांची में अर्गोरा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा शून्य एफ. आई. आर. दर्ज करने और उसी दिन पंचला पुलिस स्टेशन को शून्य एफ. आई. आर. स्थानांतरित करने को अवैध माना जाता है, इसके परिणाम लैटिन उक्ति "सबलाटो फंडामेंटो कैंडिट ओपस" में व्यक्त किए गए हैं, जिसका अर्थ है कि जब नींव को हटा दिया जाता है तो अधिरचना गिर जाती है।

पैरा-38:- उपरोक्त मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून बहुत स्पष्ट है कि किसी भी आदेश या निर्णय, या प्राधिकरण की ओर से कार्य या चूक के अनुसार किए गए प्रत्येक बाद के कार्य/कार्रवाई गैर-प्रभावी होंगे।

39. माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंगल प्रसाद तमोली (मृत) के मामले में एल.आर.एस. बनाम नरवेश्वर मिश्रा (मृत) के मामले में एल.आर.एस. और अन्य द्वारा (2005) 3 एस. सी. सी. 422 में पैरा संख्या 13 पर निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया है।

पैरा-13 जब हमने विद्वान वकील को बताया कि वह वर्ष 1999 में दायर वर्तमान अपील में 1958 की दूसरी अपील संख्या 3033 में उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा दिए गए रिमांड के आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है, तो विद्वान वकील ने क्षितिज चंद्र बोस बनाम रांची के आयुक्त (1981) 2 एस. सी. सी. 103 मामले में इस न्यायालय के 13वें फैसले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया: (1981) 2 एस. सी. आर. 764] इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण के रूप में कि उच्च न्यायालय द्वारा रिमांड का आदेश एक अंतर्वर्ती निर्णय है, जिसने कार्यवाही को

समाप्त नहीं किया, वह पीडित पक्ष के लिए अंतिम निर्णय के बाद इसे चुनौती देने के लिए खुला है। इस न्यायालय ने सत्यधन घोषाल बनाम देवराजिन देवी [(1960) 3 एस. सी. आर. 590: ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 941] में इसी तरह की परिस्थितियों में यह विचार रखा कि रिमांड का आदेश एक अंतर्वर्ती निर्णय था जो कार्यवाही को समाप्त नहीं करता था और इसलिए अंतिम आदेश से अपील में चुनौती दी जा सकती थी [एड सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 105 (2) के आलोक में, ऐसी अपील केवल अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में होगी क्योंकि धारा 105 (2) अनुच्छेद 136 के तहत कार्य करने वाले सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होती है। इस विचार को के. सी. बोस [(1981) 2 एस. सी. 103: (1981) 2 एस. सी. आर. 764] में फिर से दोहराया गया था जिसमें यह देखा जाता है (एस. सी. आर. पी. 767 ए-बी): (एस. सी. पी. 106, पैरा 7)]

“प्रत्यर्थी की ओर से पेश श्री सिन्हा इस न्यायालय के किसी भी अधिकार का हवाला देने में असमर्थ थे, जो इसके विपरीत दृष्टिकोण रखता था या ऊपर उल्लिखित निर्णयों को ओवरराइड करता था। मामले के इस दृष्टिकोण से हमारी राय है कि अपीलकर्ता के लिए उच्च न्यायालय के पहले फैसले पर भी चुनौती करने का अधिकार है और यदि हम यह मानते हैं कि यह निर्णय कानूनी रूप से गलत था तो बाद की सभी कार्यवाहियां, अर्थात् रिमांड का आदेश, रिमांड के बाद पारित आदेश, अपील और रिमांड के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दूसरा निर्णय अमान्य हो जाएगा।”

40 रितेश तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में . (2010) 10 एस. सी. पी. 677 में अनुच्छेद संख्या 32 और 34 में रिपोर्ट किए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है:-

पैरा-32:- यह तय कानूनी प्रस्ताव है कि यदि कोई आदेश अपनी शुरुआत में खराब है, तो वह बाद के चरण में पवित्र नहीं होता है। बाद की कार्रवाई/विकास किसी ऐसी कार्रवाई को मान्य नहीं कर सकता है जो अपनी शुरुआत में वैध नहीं थी, क्योंकि अवैधता आदेश की जड़ पर हमला करती है। इस तरह के आदेश को मान्य करना किसी भी प्राधिकरण की क्षमता से परे होगा। विडंबना यह होगी कि किसी व्यक्ति को उस कानून पर भरोसा करने की अनुमति दी जाए, जिसका उल्लंघन करते हुए उसने लाभ प्राप्त किए हों। (उपेन चंद्र गोगोई बनाम असम राज्य 14 [(1998) 3 एस. सी. पी. 381:1998 एस. सी. पी. (एल एंड एस) 872]; सच्चिदानंद मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य [(2004) 8 एस. सी. पी. 599:2004 एस. सी. पी. (एल एंड एस) 1181] और एस. बी. आई. बनाम राकेश कुमार तिवारी [(2006) 1 एस. सी. पी. 530:2006 एस. सी. पी. (एल एंड एस) 143]। **पैरा-34:-** मंगल प्रसाद तमोली बनाम नरवेधर मिश्रा [(2005) 3 एस. सी. पी. 422] में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रारंभिक स्तर पर कोई आदेश विधि की दृष्टि से गलत है, तो उसके परिणामस्वरूप आगे की सभी कार्यवाहियां गैर-कानूनी होंगी और उन्हें अनिवार्य रूप से अलग करना होगा।

41. पंजाब राज्य बनाम देविंदर पाल सिंह भुल्लर और अन्य के मामले में (2011) 14 एस. सी. पी. 770 में पैराग्राफ संख्या 107, 108 और 111 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :-

"पैरा-107:- यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि यदि प्रारंभिक कार्रवाई कानून के अनुरूप नहीं है, तो बाद की सभी और परिणामी कार्यवाही इस कारण से समाप्त हो जाएगी कि अवैधता आदेश की जड़ पर हमला करती है। ऐसी तथ्य स्थिति में, कानूनी सिद्धांत सबलाटो फंडामेंटो कैडिट ओपस का अर्थ है कि नींव को हटाया जा रहा है, संरचना/कार्य गिरता है, चलन में आता है और वर्तमान मामले में सभी अंकों पर लागू होता है।

पैरा-108:- बद्रीनाथ बनाम तमिलनाडु सरकार [(2000) 8 एस. सी. पी. 395: 2001 एस. सी. पी. (एल. एंड एस.) 13: ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 3243] और केरल राज्य बनाम

पुथेनकावु एन. एस. एस. करयोगम [(2001) 10 एस. सी. सी. 191] इस न्यायालय ने कहा कि एक बार कार्यवाही का आधार समाप्त हो जाने के बाद, सभी परिणामी कार्य, कार्य, आदेश स्वचालित रूप से जमीन पर गिर जाएंगे और यह सिद्धांत न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और प्रशासनिक कार्यवाही पर समान रूप से लागू होता है।

पैरा-111:- इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि आक्षेपित आदेशों को अमान्य होने के कारण कायम नहीं रखा जा सकता है। परिणामस्वरूप, बाद की कार्यवाही/आदेश/एफ. आई. आर./अभियोग स्वतः दूषित हो जाते हैं और गैर-कानूनी घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

42. इस प्रकार, की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 08.05.2019 का विवादित आदेश, S.T. नं. 328/2018 श्री कौशल किशोर झा द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III, हजारीबाग को आंशिक रूप से इस हद तक अलग रखा गया है कि आई. पी. सी. की धारा 323,341,324,325/34 के तहत आरोप तय किए जा सकते हैं और जी.आर. सं. 1588/2016 के अनुरूप मामला बरकथा पी. एस. केस संख्या 79/2016 की अधिकारिता वाले विद्वान सी.जे.एम/ए.सी.जे.एम/जे.एम को प्रेषित किया जाता है, और मुकदमा विद्वान सी.जे.एम/ए.सी.जे.एम/जे.एम की अदालत में आगे बढ़ेगा।

43. इस प्रकार, इस आपराधिक संशोधन संख्या 983/2019 को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और मामले को अवर विद्वान न्यायालय को वापस भेज दिया गया है।

44. इस आदेश की एक प्रति विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश III, हजारीबाग, या उनके उत्तराधिकारी न्यायालय को भेजी जाए और जो मामले को जी. आर. सं. 1588 2016 के अनुरूप बरकथा पी. एस. केस सं. 79/2016 के अधिकार क्षेत्र वाले विद्वान सी.जे.एम/ए.सी.जे.एम/जे.एम न्यायालय को प्रेषित कर सकते हैं।

45. तथापि, सूचना देने वाले और घायल के लिए यह खुला रहेगा कि यदि विचारण के दौरान घायल व्यक्तियों द्वारा गंभीर चोट पहुँचाने के संबंध में कोई साक्ष्य लाया जाता है और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तो निम्नलिखित अदालत सूचना देने वाले या घायल व्यक्तियों की ओर से दायर इन दस्तावेजों पर विचार कर सकती है और इस न्यायालय द्वारा किए गए किसी भी अवलोकन से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार आवश्यक आदेश पारित कर सकती है।

(संजय प्रसाद, न्यायाधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 12 अप्रैल 2024

ए.एफ.आर/ एस एम

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है।

